कार्यालय जिला ग्रामीण विकास–अभिकरण, वैशाली

लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

निष्पादन पत्र सं0 56/13-14

वाद संख्या– 05 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक		अभ्युक्ति
14.8.13	यह परिवाद पत्र श्री सूर्यदेव राय, निवासी ग्राम– शहजादपुर, पो0– इसमाइलपुर, प्रखण्ड – हाजीपुर , जिला– वैशाली के दिनांक 11.03.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।:– 1. योजना संख्या 57/ 2008–09 , मनरेगा इसमाइलपुर स्लुइस गेट से दोलतपुर चांदी पंचायत, हरौली विनायक तिवारी के बथान तक पक्का नाला का निर्माण कार्य था। उक्त कार्य के अभिकर्त्ता के पास अग्रिम राशि 2,09,117.00रूपये शेष बचे हुए है। योजना में 30 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। तथा नाला बनाने का कोई औचित्य नहीं था। 2. योजना संख्या 58/2008–09 मनेरगा, प्रखण्ड– हाजीपुर, ग्राम पंचायत इसमाइलपुर स्लुइस गेट से दौलतपुर चांदी, हरौली घाट के किनारे तक पथ में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग तथा तीन पुलिया का निर्माण कार्य था। उक्त कार्य के अभिकर्त्ता के पास 3,06,831. 00 रूपये शेष बचे हुए है। योजना में 60 प्रतिशत ही कार्य हुआ है तथा अधिक राशि की निकासी की गयी है। 3. योजना संख्या 59/2008–09 मनरेगा, ग्राम मनुँआ साहेब जी के मठ से इसमाइलपुर राम दयाल साह के घर तक पक्का नाला का निर्माण कार्य था। उक्त कार्य के अभिकर्त्ता के पास 3,85,926.00 रूपये अग्रिम बताया गया है। योजना में 40 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। उक्त सभी कार्य योजना के अभिकर्त्ता श्री राम नरेश राय, पिता– श्री गेना राय, भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य, ग्राम – मनुँआ, प्रखण्ड– हाजीपुर , जिला– वैशाली के द्वारा किया गया था। मापी पुस्तिका का सत्यापन तथा तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता, मनरेगा, प्रखण्ड, हाजीपुर तथा कार्यपालक अभियंता, मनरेगा वैशाली द्वारा किया गया था। श्रीमती अमिता ज्ञानी तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यावधि में कार्य किया गया था। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संबंध में श्री राम नरेश राय, भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत समिति सदस्य (भूतपूर्व) ने अपने कारण पृच्छा में बताया गया कि योजना संख्या 57/08–09 ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 5610 दिनांक 22.04.08 तथा उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 506 दिनांक 01.5.08 के आलोक में वित्तीय वर्ष 08–09 में हाजीपुर, प्रखण्ड से पंचायत समिति के तहत NREGS के 106 योजनाओं में से चयनित है। योजना संख्या– 58/08–09, 59/08–09 तथा 57/08–09 तकनीक/वरीय पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण/ दिशा निदेश में विशिष्टि के अनुरूप कराया गया है एवं समय–समय पर उक्त पदाधिकारियों द्वारा मापी पुस्तिका अंकित/निरीक्षण किया गया है। उक्त योजनाओं से दिनांक 20.05.2010 को प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा मुझे अभिकर्त्ता से मुक्त कर श्री अशोक कुमार साह, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत मनुँआ को पुनः अभिकर्त्ता बनाया गया एवं शेष कार्य भुगतान श्री साह द्वारा कराया गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा योजना संबंधी कार्य किये जाने का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्राक्कलन के अनुसार नाला निर्माण किया जाना था। परन्तु योजना संख्या 57/08–09 तथा 59/08–09 प्राक्कलन के अनुसार उक्त निर्धारित कार्य, कम दूरी में किया गया है। उक्त निष्कर्ष के बाद कार्यक्रम	

पदाधिकारी, द्वारा सूचित किया गया कि तत्समयक कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर, श्रीमती अमिता ज्ञानी के कार्यावधि में कार्य का निष्पादन किया गया था।

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी, श्रीमती अमिता ज्ञानी से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उन्होंने अपने कारण पृच्छा में बताया गया कि कार्यस्थल की मापी के बिना कार्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। अतः कार्यस्थल की जांच की जाए।

सहायक अभियंता मनरेगा, प्रखण्ड–हाजीपुर द्वारा कार्यस्थल का भ्रमण किया गया एवं कार्य की मापी की गयी। दिनांक 06.05.2013 को मेरे द्वारा भी कार्य स्थल का भ्रमण किया गया। मेरे साथ शिकायतकर्त्ता सूर्यदेव राय तथा श्री राम नरेश राय अभिकर्त्ता–सह (पंचायत समिति सदस्य) तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया तथा कार्य की मापी की गयी। कार्य की प्राक्कलन एवं मापी पुस्तिका का आकलन किया गया। जिसमें नाला निर्माण में अनियमितता पायी गयी।

उक्त योजनाओं के कार्यस्थल पर अनियमितता पाये जाने के पश्चात् सहायक अभियंता मनरेगा मो0 जावेद अली से पूछताछ की गयी। सहायक अभियंता ने वाद की सुनवाई के दौरान बताया कि नाला की गहराई कार्य के समय बढ़ायी गयी है। प्राक्कलन में नाला की गहराई औसतन ढ़ाई फीट ही निर्धारित था। जबकि कार्य प्रारंभ किये जाने के दौरान गहराई बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। स्थानीय लोगों के आग्रह तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के निदेशानुसार नाला की गहराई बढ़ाने का निर्णय लिया गया। चूँकि गहराई बढ़ाने पर यह औसतन ढ़ाई फीट से बढ़कर साढ़े तीन फीट हो रहा था तथा कार्य किये जाने की लागत राशि भी बढ रही थी। अतः उक्त नाला निर्माण योजना 57/08–09 तथा 59/08–09 हेतु पुनरक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की गयी तथा उक्त कार्य को पुनरक्षित प्राक्कलन के अनुसार किया गया है।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य श्री अखिलेन्द्र सिंह एवं श्री अरबिन्द कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक, सुजाता कुमारी, कनीय अभियंता तथा श्री शिशिर कुमार, कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया था। अतः उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य संबंधित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवगत कराने की मांग की गयी। सुजाता कुमारी, तत्कालीन कनीय अभियंता एवं श्री शिशिर कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त किया गया परन्तु सुनवाई की कोई तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए। श्री शिशिर कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने अपने स्पष्टीकरण पत्र में बताया कि उनके द्वारा कार्य का केवल 10 प्रतिशत जांच की जाती है। उक्त संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर ने प्रतिवेदन दिया कि कार्यपालक अभियंता से संबंधित स्थल जांच प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं है।

पुनरक्षित प्राक्कलन सहायक अभियंता, मो0 जावेद अली द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्राक्कलन के अनुसार योजना सं0– 57/ 08–09 में नाला का निर्माण कार्य 1200 की दूरी में तथा नाले के उपर कवर स्लैब 690 फीट की दूरी में किया जाना था। मापी पुस्तिका के अनुसार नाला का निर्माण 1099 फीट में किया गया जबकि प्राक्कलित राशि 1414200/ रूपये तथा मापी पुस्तिका की अंकित राशि 1413672/ रूपये थी। अर्थात् 528 /रूपये खर्च नहीं हो पाये थे। जबकि नाला निर्माण का कार्य 101 फीट की दूरी में कम हुआ था। प्राक्कलन क राशि के अनुसार 101 फीट नाला का निर्माण राशि 105820/ रूपये होती है। प्राक्कलन की राशि 528/ शेष है। अतः 105292/रूपये की राशि वसूलनीय है।

जिम्मेदारी और जबावदेही के अनुसार श्री रामनरेश राय, भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य सह कार्य अभिकर्त्ता 21058/ रूपये, श्री अखिलेन्द्र सिंह, तत्कालीन पंचायत तकनीकी

सहायक 21058/ रूपये, श्रीमती अमिता ज्ञानी, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी 21058/रूपये, मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर , प्रखण्ड 21058/ रूपये तथा श्री शिशिर कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मनरेगा हाजीपुर 21058/ रूपये की राशि वसूलनीय है।

योजना सं0– 58/08–09 में प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी भराई तथा ईंट सोलिंग का कार्य 3280 फीट की दूरी में तथा तीन पुलिया का निर्माण किया जाना था। मापी पुस्तिका के अनुसार मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य निर्धारित दूरी तक किया गया है तथा तीन पुलिया का निर्माण भी किया गया है।

योजना सं0– 59/ 08–09 में प्राक्कलन के अनुसार 1300 फीट की दूरी में नाला का निर्माण कार्य तथा 585 फीट की दूरी में नाले के उपर कवर स्लैब का निर्माण किया जाना था। मापी पुस्तिका के अनुसार उक्त योजना में 1155 फीट की दूरी में नाला का निर्माण कार्य किया गया है तथा 480 फीट की दूरी में कवर स्लैब का निर्माण किया गया है। अतः 145 फीट नाला निर्माण तथा 105 फीट कबर स्लैब का निर्माण कम किया गया है। जिसके निर्माण पर 176468/ रूपये की राशि व्यय होनी थी। परन्तु प्राक्कलन की राशि 1478500/ रूपये तथा मापी पुस्तिका में व्यय की गयी राशि 1275674/रूपये अंकित है अर्थात् 202826/ रूपये शेष बची हुई है।

शिकायतकर्त्ता ने शिकायत पत्र में अभिकर्त्ता के पास योजना की शेष अग्रिम राशि होने की शिकायत की हैं, वह कार्य पूर्ण होने के पहले की सूचना थी। मापी पुस्तिका में अभिकर्त्ता के पास कोई अग्रिम राशि शेष नहीं है।

सभी योजनाएँ ग्राम सभा द्वारा पारित की जाती है। अतः इसकी उपयोगिता या इसके औचित्य की चर्चा ग्राम सभा में ही होनी चाहिए। कार्य की समाप्ति के बाद उक्त प्रश्न को उठाना सही नहीं है।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली

ज्ञापांक 1372 /मनरेगा,हाजीपुर दिनांक 14/08/13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को आवश्यक कार्यार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 1372 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 14/08/13

प्रतिलिपिः शिकायतकर्त्ता, श्री सूर्यदेव राय, ग्राम–शहजादपुर, पो0–इसमाइलपुर, प्रखण्ड– हाजीपुर, थाना– सदर हाजीपुर, जिला– वैशाली एवं श्री राम नरेश राय भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य, ग्राम मनुँआ, प्रखण्ड– हाजीपुर, थाना– सदर हाजीपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः श्री अखिलेन्द्र सिंह, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर , श्रीमती अमिता ज्ञानी, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी श्री शिशिर कुमार, तत्कालीन, कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।